मामलों का विवरण

एम/एस. एस. डी. शिंदे टी. आर. भागीदार

वी.

जीओवीटी। महाराष्ट्र और ओआरएस। (2017 की सिविल अपील संख्या 6107-6108)
22 अगस्त, 2023

[एस**.** रवींद्र भाट और दीपांकर दत्ता**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःअपीलार्थी-ठेकेदार के पक्ष में दिए गए पुरस्कार को प्रतिवादी-राज्य यू/एस द्वारा चुनौती दी गई थी।30, 33, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 और अन्य बातों के साथ-साथ न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया गया था कि दावा समय-बाधित था-वैधता।

मध्यस्थता अधिनियम**, 1940-ss.30** और **33-**न्यायालयों की अधिकारिता**-**कार्यक्षेत्रः

आयोजित किया गयाःवित्तीय विधेयक के जारी होने पर एक दावा स्पष्ट हो जाता है जो इस मामले में भुगतान के संबंध में ठेकेदार की शिकायत पहली बार 1988 में प्रसारित की गई थी; अस्वीकृति के परिणामस्वरूप उच्च प्राधिकरण के समक्ष अपील की गई, जिसने कभी भी अपनी राय या निर्णय नहीं दिया-1993 में भी (वित्तीय विधेयक तैयार होने के बाद), कोई निर्णय नहीं दिया गया था-इस प्रकार, जनवरी, 1995 में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दीवानी अदालत के समक्ष दावा सीमा की अवधि के भीतर था-इसके अलावा, तथ्यों पर, दावों का सवाल अनुबंध की अवधि के भीतर नहीं था, यानी अनुबंध के पूर्वनिर्धारण के बाद दिए गए 30-दिवसीय समय के भीतर, उत्पन्न नहीं होता है -

न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, यू/एस. एस.30/33 यह कभी भी समझ से परे नहीं बढ़ा कि क्या पुरस्कार ने "पुरस्कार के सामने स्पष्ट त्रुटि" का खुलासा किया है जो कि "पुरस्कार के सामने स्पष्ट रूप से कानून की त्रुटि है और तथ्य की त्रुटि नहीं है-वर्तमान मामले में, पुरस्कार ने कानून की किसी भी त्रुटि का खुलासा नहीं किया है; हर्जाने कानून में सन्निहित सिद्धांतों के अनुसार दिए गए थे, और निर्णय न्यायाधिकरण के समक्ष रखे गए साक्ष्य पर आधारित थे-विवादित निर्णय और निचली अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया गया-पुरस्कार बहाल किया गया।

मध्यस्थता-मध्यस्थता पुरस्कार-हस्तक्षेप-न्यायालयों का कर्तव्यः

आयोजित किया गयाःयह निर्णय लेते समय कि क्या मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप की आवश्यकता है, न्यायालयों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि मध्यस्थ तथ्यों का एकमात्र न्यायाधीश है; जब तक कि कानून की कोई त्रुटि नहीं दिखाई जाती है, तब तक निर्णय में हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए।

मध्यस्थता-कथित अनियमितता दावा को असमर्थनीय बनाती हैः

आयोजित किया गयाःप्रत्यर्थी-राज्य के निवेदन में कोई योग्यता नहीं है कि अभिलेख दोषपूर्ण हो गया और प्रक्रियात्मक रूप से दावा असमर्थनीय हो गया क्योंकि न्यायाधिकरण को सूचित नहीं किया गया था और अपीलकर्ता ने मूल ठेकेदार के सभी उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर नहीं लाया था-इस अनियमितता को ठीक कर दिया गया था क्योंकि निचली अदालत के फैसले में मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था।

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

मेजर (सेवानिवृत्त) इंदर सिंह रेखी बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण [1988] 3 एस. सी. आर. 351; जे. सी. बुधराजा बनाम अध्यक्ष, उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड और

एक और (2008) 2 एससीसी 444:[2008] 1 एस. सी. आर. 821; बिजेंद्र नाथ श्रीवास्तव

बनाम मयंक श्रीवास्तव [1994] पूरक 2 एस. सी. आर. 529; मद्रास बंदरगाह के न्यासी

v. इंजीनियरिंग निर्माण [1995] पूरक 2 एस. सी. आर. 672-पर निर्भर था।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2017 की सिविल अपील संख्या 6107-6108।

2005 के ए. एफ. ओ. सं. 108 में दिनांकित 13.08.2009 और 2005 के ए. एफ. ओ. सं. 108 में दिनांकित 23.11.2010 और औरंगाबाद में बंबई उच्च न्यायालय के 2009 के एल. पी. ए. <आई. डी. 2 से।

369

एम/एस. एस. डी. शिंदे टी. आर. भागीदार बनाम सरकार। महाराष्ट्र और ओआरएस।

के साथ

2017 की सिविल अपील संख्या 6109।

रूपः

विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता, शशिभूषण पी. अदगांवकर, ओंकार जयंत देशपांडे, श्रीमती प्रज्ञा एस. अदगांवकर, जे. एन. सिंह, श्रीमती साधना सिंह, सुश्री श्रेया सिंह, शाश्वत गोयल, सचिन पाहवा, अरविंद एस. अवध, वी. के. सिद्धार्थन, राहुल चिटनिस, संजय खारडे, सुनील कुमार वर्मा, उमंग शंकर, शेखर कुमार, सौरभ मिश्रा, अभिषेक सिंह, श्रीमती श्रेया सिंह, सुश्री प्रिया कौशिक, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. ये अपीलें बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ के एक सामान्य फैसले को चुनौती देती हैं। अपीलार्थी विचारण न्यायालय 2 के निर्णय से व्यथित था।निचली अदालत ने सड़क निर्माण अनुबंध की पृष्ठभूमि में अपने दावे के लिए पर्याप्त राशि देने वाले अपीलार्थी के पक्ष में दिए गए एक फैसले को रद्द कर दिया था।

2. प्रथम प्रत्यर्थी महाराष्ट्र सरकार के सिंचाई विभाग ने कार्यकारी अभियंता (इसके बाद ई. ई.) के माध्यम से एक निविदा जारी की।

"किमी में पृथ्वी कार्य, संरचना और अस्तर का निर्माण" कार्य के लिए सूचना। No.91 से 110 कुकडी लेफ्ट बैंक कैनाल "।यह निविदा स्वीकार कर ली गई थी, और

23.07.1983 पर एक कार्य आदेश जारी किया गया था; कार्य की अनुमानित लागत ₹ 4,01,77,153/- थी।पक्षों के बीच अनुबंध ने काम पूरा करने की अवधि को 18 (अठारह) अंग्रेजी कैलेंडर महीने होने की कल्पना की।इस प्रकार, कार्य पूरा करने की नियत तिथि 22.01.1985 थी।हालाँकि, यह पूरा नहीं हुआ था; कई विस्तार इस समझ पर दिए गए थे कि वे ठेकेदार की गलती के कारण नहीं थे।

1 दिनांक 13.08.2009, एओ 108/2005 में; डिवीजन बेंच में अपील को रखरखाव के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

2 आर. सी. एस. No.595 1997 में संयुक्त सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग, अहमदनगर। 3 दिनांकित 14.12.1997।

3. विवाद उत्पन्न हुए; अपीलार्थी ने अनुबंध के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाया।आखिरकार, सिविल जज, अहमदनगर 4 ने "विवाद को निपटाने" के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया।

अनुबंध एल. सी. बी. 9/83-84 के बाहर याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अतिरिक्त और अतिरिक्त कार्य के भुगतान के संबंध में।”

4. मध्यस्थ ने अपने निर्णय 5 द्वारा दावेदार/ठेकेदार को मध्यस्थता शुरू होने की तारीख (₹2 लाख तक) की अवधि के लिए विभिन्न शीर्षों के लिए ₹3,000/- की राशि और 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज का हकदार ठहराया।मध्यस्थ ने राज्य के जवाबी दावे को खारिज कर दिया।5. मध्यस्थ के निर्णय से व्यथित प्रत्यर्थी राज्य ने भारतीय मध्यस्थता अधिनियम (इसके बाद "अधिनियम") की धाराओं के तहत इसे चुनौती देते हुए दावा किया कि यह कानूनी कदाचार का परिणाम था।निचली अदालत ने पुरस्कार को रद्द कर दिया; इसने ठेकेदार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया, जिसने उसकी अपील को खारिज कर दिया।

न्यायालय के निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं

6. निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने माना कि पुराने मध्यस्थता अधिनियम 6 के तहत मध्यस्थ के कानूनी कदाचार से पुरस्कार दूषित हो गया था। अदालतों ने निष्कर्ष निकाला कि दावा समय-बाधित था क्योंकि मूल रूप से 1983 में दिए गए अनुबंध के संबंध में विवादों को अठारह महीने के भीतर पूरा करने की शर्त के साथ निस्संदेह पक्षों की सहमति से बढ़ाया गया था।यह केवल 1991 में था जब मध्यस्थ के नामांकन का दावा किया गया था, जिसके कारण ठेकेदार ने 1995 में अधिनियम की धारा 8 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया था।इसके बाद यह अभिनिर्धारित किया गया कि 25.02.1997 (अरब में) पर [सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) द्वारा] मध्यस्थता के लिए विवादों को संदर्भित करने वाला आदेश। एम. ए. 1/1995) अनुबंध के तहत ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में थे।अदालतों ने माना कि राशि का अधिनिर्णय कम से कम तीन वस्तुओं के संबंध में संदर्भ की शर्तों से अधिक है।नतीजतन, इसे बनाए नहीं रखा जा सका।

7. यह अभिनिर्धारित किया गया कि दावों का पालन नहीं किया जा सका क्योंकि मूल ठेकेदार की मृत्यु हो गई थी और सभी कानूनी प्रतिनिधि कार्यवाही में शामिल नहीं हुए थेःऐसा प्रतीत होता है कि उनके बीच अंतर-विवाद थे।यह तथ्य

4 अरब एम. ए. 1/1995 में दिनांकित 25.02.1997 आदेश द्वारा। 5 दिनांकित 14.12.1997।

6 भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940।

मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान खुलासा नहीं किया गया था, जिससे पुरस्कार दूषित हो गया था।यह भी पाया गया कि अनुबंध के संदर्भ में, दावा एक विशेष समय के भीतर-दोष देयता

अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर दर्ज किया जाना था।इस संबंध में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दावा उस अवधि से बहुत आगे किया गया था और इसलिए, संविदात्मक रूप से वर्जित था।

पक्षों की दलीलें

8. ठेकेदार/अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय नवारे ने आग्रह किया कि नीचे दी गई अदालतों के निष्कर्ष अस्थिर हैं।वह सबसे पहले प्रस्तुत करता है कि कानून के मामले के रूप में, कानूनों में समय-प्रतिबंधित होने के दावों के संबंध में निर्णय असमर्थनीय है; वह इस पर निर्भर करता है

इस न्यायालय के फैसले को मेजर (सेवानिवृत्त) के रूप में रिपोर्ट किया गया। इंदर सिंह रेखी बनाम दिल्ली

विकास प्राधिकरण 7.इस संबंध में यह आग्रह किया गया था कि अनुबंध से संबंधित वित्तीय विधेयक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती को 14.12.1992 पर प्रस्तुत किया गया था।पहले की गई राशि के लिए ठेकेदार का दावा; ई. ई. द्वारा खारिज कर दिया गया था; अधीक्षण अभियंता (इसके बाद "एस. ई".) से संपर्क किया गया था, फिर भी कुछ समय के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया था।इन तथ्यों के आलोक में ही ठेकेदार ने 21.01.1991 पर मध्यस्थ के नामांकन की मांग की थी।बिनि उनाव, नाल बिलआ 14.12.1992 आव थियारि खालाम जादोंमोन। इसलिए, ठेकेदार ने अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन को प्राथमिकता दी, जिसे अंततः 25.02.1997 पर तय किया गया था।मध्यस्थ की नियुक्ति विभाग की जानकारी में थी, जिसका प्रतिनिधित्व सरकारी वकील के माध्यम से किया जाता था।9. विद्वान अधिवक्ता ने साइट को सौंपने में इंजीनियर की ओर से देरी; ड्राइंग सौंपने और तकनीकी मुद्दों पर निर्णय लेने में देरी; सीमेंट की आपूर्ति में कमी; नहर में पानी छोड़ना जो काम और उनकी अवधि में बाधा डालता है; अंतरिम भुगतानों को समय पर जारी करने के लिए धन और धन की कमी; अवशोषित ओवरहेड्स या प्रोफिट्स का नुकसान जैसे पहलुओं पर मध्यस्थ की विशिष्टताओं की ओर इशारा किया।यह इंगित किया गया था कि मध्यस्थ ने इन सभी दावों की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन उन्हें आंशिक रूप से अनुमति देने में विवेकी था।अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से 23.09.1988 पर EE को लिखे गए पत्र में उल्लिखित ठेकेदार के दावे का उल्लेख किया। इसके कारण प्रारंभिक दावे को अस्वीकार कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधीक्षण अभियंता को एक अपील की गई जो व्यर्थ साबित हुई।यह बताया गया है कि अधिभार स्थायी शुल्क था और निर्धारित अवधि से परे सभी कार्यों के लिए बढ़ाया गया था, जिसकी भरपाई की जानी थी।इसके मुख्य उपशीर्षक

7 1988 [3] एससीआर 351।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दावे में पर्यवेक्षी कर्मचारियों का वेतन; शिविर स्थापना; उधार ली गई पूंजी का ब्याज; लेखन सामग्री; डाक; उपकरणों और संयंत्रों की लागत; श्रम शिविरों के रखरखाव के लिए अतिरिक्त लागत; पानी की आपूर्ति; चिकित्सा सहायता; श्रम का पुनः संयोजन; प्रत्येक कार्य मौसम के बाद मशीनरी और संयंत्रों को फिर से शुरू करना; श्रमिकों और कुशल श्रमिकों से अप्रकाशित अग्रिम; कॉलोनी, शिविर आदि की सुरक्षा के लिए शुल्क शामिल थे। और टायरों और ट्यूबों आदि का अधिक खराब होना।

10. यह इंगित किया गया है कि इन सभी दावों को विधिवत ध्यान में रखा गया था, और उच्च न्यायालय के आदेश कि मध्यस्थ ने दावे से परे यात्रा की और अनुबंध तथ्यात्मक आधार के बिना था।नहर के जारी होने के दौरान काम के रुकने के संबंध में दी गई राशि के संबंध में, मध्यस्थ ने प्रस्तुत साक्ष्य (C55 और C57) के आधार पर वास्तविक अवधि को ध्यान में रखा, अवधि 23.08.1987 से 15.10.1987 और 20.07.1988 से 28.08.1988 और 10.03.1989 से 02.07.1989 के बीच थी।यह बताया गया कि मध्यस्थ ने पाया कि विभाग ने बिना किसी सूचना के खरिफ और रबी मौसम में पानी छोड़ा था।इसके अलावा, न केवल पानी छोड़ने के दौरान काम करना असंभव था, बल्कि उसके बाद एक सीमित अवधि के लिए भी नहर को सुखाने की प्रक्रिया के दौरान काम करना संभव नहीं था, जिसमें कुछ समय लगता था।

11. विद्वान अधिवक्ता ने अदालत से इस तर्क पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया कि सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र तथ्यात्मक निर्णयों में हस्तक्षेप करने के लिए और मध्यस्थ द्वारा रखी गई व्याख्या पर भी, अनुबंध की शर्तों पर विचार करने के लिए जो वैध रूप से "कानूनी कदाचार" है।

12. राज्य की ओर से श्री राहुल चिटनिस ने आग्रह किया कि नाल बिल 14.12.1992 पर तैयार किया गया था और 31.12.1992 पर भुगतान किया गया था।विरोध में इसे स्वीकार कर लिया गया।हालाँकि, दिनांक 23.09.1988 के समझौते के खंड 54A के तहत नोटिस दिया गया था, और उसके बाद, अधीक्षण अभियंता के समक्ष अपील की गई थी।सीमा की अवधि समाप्त होने के काफी समय बाद ठेकेदार ने 18.01.1995 पर अदालत का दरवाजा खटखटाया।

13. विद्वान अधिवक्ता ने अनुबंध के खंड 55 ए पर भरोसा करते हुए आग्रह किया कि जब तक दोष देयता अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर दावों को प्राथमिकता नहीं दी जाती, तब तक उन पर विचार नहीं किया जा सकता है।इस शर्त के लिए आवश्यक था कि किसी भी अतिरिक्त वस्तु या दावे को तब तक नहीं दबाया जा सकता जब तक कि वे उस अवधि के भीतर नहीं मांगे जाते।इस मामले में, दावा उस अवधि के भीतर दर्ज नहीं किया गया था, क्योंकि इसे बहुत बाद में दायर किया गया था।इसलिए, इसे संविदात्मक रूप से

प्रतिबंधित कर दिया गया था, और नीचे की अदालतों ने सही निष्कर्ष निकाला कि यह मामला है।

373

एम/एस. एस. डी. शिंदे टी. आर. भागीदार बनाम सरकार। ओ.

महाराष्ट्र और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 374

14. विद्वान अधिवक्ता ने इस अदालत का ध्यान नीचे दी गई अदालतों की टिप्पणियों की ओर भी आकर्षित किया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मूल ठेकेदार की मृत्यु हो गई थी और उसके सभी कानूनी उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों का खुलासा नहीं किया गया था, और रिकॉर्ड पर लाया गया था, जो दोषपूर्ण हो गया था।अंत में यह आग्रह किया गया कि अनुबंध के संदर्भ में, लाभ के नुकसान और अधिभार के दावे अस्वीकार्य थे।पुरस्कार ने अधिभार के दावे को मंजूरी दे दी, जो स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है, और परिणामस्वरूप, इसे नीचे की अदालतों द्वारा सही ढंग से दरकिनार कर दिया गया था।

विश्लेषण और निष्कर्ष

15. प्रतिद्वंद्वी विवादों के विश्लेषण के साथ आगे बढ़ने से पहले, अनुबंध की प्रासंगिक शर्तों पर चर्चा करना आवश्यक होगा।खंड 54 ए विवादों के निपटारे से संबंधित है।इसने यह निर्धारित किया कि जहां भी ठेकेदार किसी भी काम की मांग को अनुबंध की आवश्यकताओं से बाहर मानता है या EE के निर्णयों के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले में EE के किसी भी चित्र, रिकॉर्ड या निर्णय पर विचार करता है, ठेकेदार को लिखित निर्देश या निर्णय लेने होते हैं।ई. ई. को 30 दिनों के भीतर अपना लिखित निर्णय या निर्देश देना था।इसके बाद ठेकेदार को निर्देशों का पालन करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा।यदि ई. ई. ने अनुरोध किए जाने के बाद किसी भी मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया, या ठेकेदार निर्णय से असंतुष्ट था, तो ठेकेदार अपील के समर्थन में "ऊपरी प्राधिकरण से अपील कर सकता है जो ठेकेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा"।उच्च प्राधिकारी, अर्थात, इस मामले में, एस. ई. को अपील प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर निर्णय देना था।

16. मध्यस्थता के लिए शर्त खंड 55 ए पर थी, जो अनुबंध से उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में होनी थी।खंड 58 विलंब के संबंध में मुआवजे से संबंधित है।खंड 55 ए में निर्धारित मध्यस्थता की शर्तों में से एक इस प्रकार है:

“यदि दोष देयता अवधि के बाद 30 दिनों की समाप्ति से पहले मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की गई है तो कोई भी पक्ष मध्यस्थता में दावा करने का हकदार नहीं है।”

17. राज्य का तर्क है कि समवर्ती निर्णय दोनों आधारों पर न्यायसंगत हैं, दोनों इस आधार पर कि दावा समय-बाधित था और इस आधार पर भी कि मध्यस्थता शुरू करने के लिए पत्र

और शर्त, यानी, दोष देयता अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर राशि का दावा करना और वे दोष देयता अवधि की समाप्ति के बाद निर्धारित 30 दिनों की अवधि से भी अधिक थे।

18. जहाँ तक विलंब के संबंध में तर्क का संबंध है, इस न्यायालय के निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे मामलों में, दावा शून्य विधेयक के जारी होने पर स्पष्ट हो जाता है-जो इस मामले में 14.12.1992 पर था।भुगतान के संबंध में ठेकेदार की शिकायत पहली बार 1988 में ई. ई. को प्रसारित की गई थी; अस्वीकृति के परिणामस्वरूप एस. ई. के समक्ष अपील की गई, जिसने कभी भी अपनी राय या निर्णय नहीं दिया।1993 में भी (वित्तीय विधेयक तैयार होने के बाद) एस. ई. का निर्णय नहीं दिया गया था।इन परिस्थितियों में, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दीवानी अदालत के समक्ष दावाःजनवरी, 1995 में किया गया कार्य सीमा अवधि के भीतर था।इंदर सिंह रेखी (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

“यह सच है कि काम पूरा होने पर भुगतान प्राप्त करने का अधिकार सामान्य रूप से उत्पन्न होता है, लेकिन जहां इस मामले में वित्तीय बिल तैयार नहीं किए गए हैं जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है और जब दावे का दावा 28 फरवरी, 1983 को किया गया था और भुगतान नहीं किया गया था, तो कार्रवाई का कारण उस तारीख से, यानी 28 फरवरी, 1983, उत्पन्न हुआ।

यह भी सच है कि कोई पक्ष अनुस्मारक लिखकर या अनुस्मारक भेजकर कार्रवाई के कारण के संचय को स्थगित नहीं कर सकता है, लेकिन जहां बिल को पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया था, एक दावेदार द्वारा किया गया दावा कार्रवाई के कारण का संचय है।एक विवाद उत्पन्न होता है जहां एक दावा और दावे का खंडन और खंडन होता है।

धारा 8 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति या अधिनियम की धारा 20 के तहत एक संदर्भ के लिए विवाद का अस्तित्व आवश्यक है। (आर. एस. बचावत द्वारा मध्यस्थता का कानून, पहला संस्करण, पृष्ठ 354 देखें।)

विवाद होना चाहिए और विवाद केवल तभी हो सकता है जब एक पक्ष द्वारा दावा किया जाता है और दूसरे द्वारा किसी भी आधार पर अस्वीकार किया जाता है।केवल भुगतान करने में विफलता या निष्क्रियता विवाद के अस्तित्व का अनुमान नहीं लगाती है।विवाद में एक सकारात्मक तत्व और दावा शामिल है

इनकार करना, न कि केवल किसी दावे या अनुरोध को स्वीकार करने के लिए निष्क्रिय होना। किसी विशेष मामले में विवाद उत्पन्न हुआ है या नहीं, इसका पता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से लगाया जाना चाहिए।”

जे. सी. बुधराजा बनाम अध्यक्ष, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और

दूसरा, 8 इस न्यायालय ने फिर से सीमा के प्रश्न को इस प्रकार संबोधित कियाः

8 2008 [2] एससीसी 444।

375

एम/एस. एस. डी. शिंदे टी. आर. भागीदार बनाम सरकार। ओ.

महाराष्ट्र और ओआरएस। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 376

"...अपीलार्थी स्पष्ट रूप से मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 8 (2) के तहत याचिका की सीमा को दावे की सीमा के साथ भ्रमित कर रहा है।सूट के लिए सीमा की गणना सूट के लिंग की तारीख के अनुसार की जाती है।मध्यस्थता के मामले में, दावे की सीमा की गणना उस तारीख को की जानी है जिस दिन मध्यस्थता शुरू हुई मानी जाती है।

26. अधिनियम की धारा 37 (3) में प्रावधान है कि सीमा अधिनियम के उद्देश्य के लिए, एक मध्यस्थता तब शुरू की गई मानी जाती है जब मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष दूसरे पक्ष पर कार्य करता है, एक नोटिस जिसमें मध्यस्थ की नियुक्ति की आवश्यकता होती है।इस तरह का नोटिस 4-6-1980 पर दिए जाने के बाद, यह देखना होगा कि क्या दावे उस तारीख को समय पर थे।यदि 4-6-1980 को दावों पर रोक लगा दी गई थी, तो यह माना जाता है कि मध्यस्थ द्वारा दावों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि दावे सीमित थे।उक्त अवधि का अधिनियम की धारा 8 (2) के तहत याचिका दायर करने की सीमा की अवधि से कोई लेना-देना नहीं है। जहां तक धारा 8 (2) के तहत याचिका का संबंध है, कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न होगा जब दूसरा पक्ष मध्यस्थता का आह्वान करने वाले नोटिस का पालन करने में विफल रहता है।"

इन परिस्थितियों में, राज्य की दलीलें असंगत हैं और कानून में सही स्थिति और इस मामले के तथ्यों के संबंध में खारिज कर दी जाती हैं।19. जहां तक दावों के अनुबंध की अवधि के भीतर नहीं होने का सवाल है, यानी अनुबंध के फोरक्लोजर के बाद दिए गए 30-दिन के समय के भीतर, अदालत की राय में, वह मुद्दा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न नहीं होता है। अत्यधिक देरी के कारण (जो अधिकारियों द्वारा निर्णय में हुई, जिसके परिणामस्वरूप आपसी सहमति से समय बढ़ाया गया), ठेकेदार ने स्वेच्छा से पूर्वनिर्धारण की मांग की।विभाग ने उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया।इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मूल रूप से अनुबंध/कार्यों को पूरा करने की अवधि अठारह महीने की थी।इसलिए, फोरक्लोजर के अनुरोध को विभाग द्वारा उचित माना गया और अपीलार्थी ठेकेदार का दिनांक 06.04.1990 का पत्र प्राप्त होने पर स्वीकार कर लिया गया।ऐसा होने पर, विवाद समाधान या मध्यस्थता के लिए दावा प्रस्तुत करने में देरी पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी-यह देखते हुए कि विभाग ने स्वयं 6 साल से अधिक समय से विवादों के निपटारे के अनुरोध पर बैठक की थी।इसके अलावा, दोष देयता अवधि केवल दोनों पक्षों द्वारा संतुष्टि व्यक्त करने और दर्ज करने पर समाप्त होगी।

एक सहमत तरीके से या पूर्व निर्धारित तरीके से।जाहिर है, यह घटना कभी नहीं हुई।

20. एक अन्य क्षेत्र जिसमें राज्य ने तर्क दिया था और समवर्ती रूप से सफल हुआ था, वह यह था कि पुरस्कार उन दिनों के संबंध में मुआवजा प्रदान करता था जब नहर में पानी छोड़ा जाता था जिससे काम में व्यवधान पैदा होता था।पुरस्कार 9 में कहा गया है कि काम के उद्देश्य के लिए बनाई गई व्याख्या वह अवधि थी जब रबी अवधि के समय नहर में पानी छोड़ने के दौरान कोई काम नहीं किया जा सकता था।न्यायाधिकरण ने नोट किया कि काम खरिफ अवधि के दौरान किया जाना था।इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने तीन अवधियों के संबंध में निर्णय दिया, 23.08.1987 से 15.10.1987; 20.07.1988 से 08.08.1988 और 10.03.1989 से 02.07.1989।न्यायाधिकरण ने जानबूझकर जनवरी 1987 तक की अवधि के लिए हर्जाना देने से इनकार कर दिया, जब रबी अवधि के दौरान नहर छोड़ी गई थी।यह केवल अन्य तीन अवधियों के संबंध में था जब रिलीज रबी मौसम के दौरान नहीं थी और अनुबंध से परे की अवधि में नुकसान या मुआवजे की गणना अलग-अलग दर पर की गई थी, कुल मिलाकर ₹ 14,18,228-।

21. यह अदालत प्रत्यर्थी राज्य के इस कथन में कोई दम नहीं दिखाती कि अभिलेख दोषपूर्ण हो गया और प्रक्रियात्मक रूप से दावा असमर्थनीय हो गया क्योंकि न्यायाधिकरण को सूचित नहीं किया गया था और अपीलकर्ता ने स्वर्गीय एस. डी. शिंदे के सभी उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर नहीं लाया था।यह उल्लेखनीय है कि इस अनियमितता को ठीक कर दिया गया था, इसलिए कहने के लिए, क्योंकि निचली अदालत के फैसले में मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था।नतीजतन, इस प्रस्तुति में कोई योग्यता नहीं है।

22. अंतिम प्रश्न हर्जाने के पुरस्कार से संबंधित है।यहां, यह अदालत नोटिस करती है कि मध्यस्थों ने जानबूझकर टी 10 के नुकसान के लिए मुआवजे के अनुदान को छोड़ दिया। ठेकेदारों ने अनुबंध की मूल अवधि के दौरान काम के कम कारोबार के दौरान निष्क्रिय मशीनरी शुल्क का खुलासा करते हुए साक्ष्य का नेतृत्व किया था।दावा किए गए आरोप साक्ष्य पर आधारित थे जैसे कि नियोजित श्रमिकों की संख्या, उपकरण का मूल्य, मूल्य पर ब्याज और 0.7192 की कमी कारक को अपनाने वाले कार्य दिवसों की कुल संख्या।इस शीर्ष पर दी गई राशि ₹ 15,72,000 थी।इस पहलू पर तथ्य पूरी तरह से साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं।इसी तरह, मुआवजे के लिए

9 पैरा 06.04.2002 देखें।

10 पैरा 6.1 का संदर्भ लें।3 377 का पुरस्कार

एम/एस. एस. डी. शिंदे टी. आर. भागीदार बनाम सरकार। ओ.

महाराष्ट्र और ओआरएस। 378 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

अनुबंध की विस्तारित अवधि ₹ 91,28,000 पर दी गई थी।ठेकेदार के साक्ष्य और गणना प्रत्यर्थी राज्य द्वारा विवादित नहीं थे।यह न्यायालय मानता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि यह निर्णय मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्षों द्वारा रखी गई सामग्री पर आधारित था।राज्य ने स्पष्ट रूप से मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान उनसे पूछताछ नहीं की।जहां तक शेष राशि (1.33 करोड़ रुपये) का संबंध है, न्यायाधिकरण ने नोटिस या ब्याज दिए जाने से लेकर पुरस्कार की तारीख तक की अवधि के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया।प्रत्यर्थी राज्य को भुगतान के लिए दो महीने की उचित अवधि दी गई थी।इसी तरह, विफलता की स्थिति में, 12 प्रतिशत भविष्य का ब्याज दिया गया था।उस समय प्रचलित ब्याज दरों को देखते हुए जब अनुबंध लागू था, अदालत फिर से इस तरह की ब्याज दर का निर्णय देती है जो न तो अविश्वसनीय है और न ही अवैध है।

23. यह स्वयंसिद्ध है कि अदालतें, यह निर्णय लेते समय कि क्या मध्यस्थता पुरस्कार हस्तक्षेप की मांग करता है, इस बात से अवगत होना चाहिए कि मध्यस्थ तथ्यों का एकमात्र न्यायाधीश है; जब तक कि कानून की कोई त्रुटि नहीं दिखाई जाती है, निर्णय में हस्तक्षेप।

इससे बचना चाहिए।बिजेंद्र नाथ श्रीवास्तव बनाम मयंक श्रीवास्तव में, 11 यह देखा गया था,

“यदि मध्यस्थ या अंपायर अपने निर्णय के समर्थन में कारण देने का विकल्प चुनता है तो अदालत के लिए पुरस्कार को रद्द करने का विकल्प खुला होगा यदि यह माना जाता है कि ऐसे कारणों की रिकॉर्डिंग के आधार पर मध्यस्थ अंपायर द्वारा कानून की त्रुटि की गई है। तथापि, मध्यस्थ द्वारा दिए गए कारणों की तर्कसंगतता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। मध्यस्थ साक्ष्य की गुणवत्ता का एकमात्र न्यायाधीश होता है और यह न्यायालय के लिए नहीं होगा कि वह मध्यस्थ के समक्ष साक्ष्य का न्यायाधीश होने का कार्य स्वयं करे।न्यायालय को एक निर्णय का समर्थन करने की इच्छा के साथ संपर्क करना चाहिए, यदि यह उचित रूप से संभव है, तो इसे अवैध कहकर नष्ट करने के बजाय।[चैंपसी भरा एंड कंपनी बनाम जीवराज बालू एसपीक्यू और डब्ल्यूवीजी देखें। कं. लिमिटेड (ए. आई. आर. 1923 पी. सी. 66); जीवराजभाई उज्जामेशी शेठ बनाम चिंतामनराव बालाजी (1964 (5) एस. सी. आर. 480); सुदर्शन ट्रेडिंग कं. बनाम केरल सरकार (1989 (2) एस. सी. सी. 38); रायपुर विकास प्राधिकरण बनाम चोकामल ठेकेदार (1989 (3) एस. सी. आर. 144); और सांता सिला देवी बनाम धीरेंद्र नाथ सेन (1964 (3) एस. सी. आर. 410)।”

24. यह भी उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 30/33 के तहत किसी अदालत के अधिकार क्षेत्र का दायरा कभी भी समझ से परे नहीं बढ़ा कि क्या पुरस्कार दिया गया है।

11 1994 पूरक (2) एस. सी. आर. 529।

"पुरस्कार के सामने स्पष्ट त्रुटि" का खुलासा किया जो "पुरस्कार के सामने स्पष्ट कानून की त्रुटि है और तथ्य की त्रुटि नहीं है।कानून की त्रुटि का पता पुरस्कार से ही या वास्तव में उसमें शामिल दस्तावेज़ से लगाया जा सकता है।" (पोर्ट ऑफ मद्रास बनाम इंजीनियरिंग के न्यासियों का संदर्भ लें

निर्माण 12)।वर्तमान मामले के तथ्यों में, पुरस्कार ने कानून की किसी भी त्रुटि का खुलासा नहीं किया; हर्जाने कानून में सन्निहित सिद्धांतों के अनुसार दिए गए थे, और निर्णय न्यायाधिकरण के समक्ष रखे गए साक्ष्य पर आधारित थे।निचली अदालतों और उच्च न्यायालय का निर्णय गहन अपीलीय समीक्षा से कम नहीं है, जो कानून में और अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

25. उपरोक्त कारणों से, इस अदालत की राय है कि विवादित फैसले के साथ-साथ निचली अदालत के फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है; उन्हें तदनुसार दरकिनार कर दिया जाता है।पुरस्कार बहाल किया जाता है।प्रत्यर्थीगण आज से आठ सप्ताह के भीतर अपीलार्थी को पुरस्कार के संदर्भ में पूरा भुगतान सुनिश्चित करेंगे।इन शर्तों में अपील की अनुमति है। अपीलार्थी पूरे खर्च का हकदार होगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे

12 1995 (2) एस. सी. आर. 672।